षोडश बिहार विधान सभा

सप्तम् सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-02 मंगलवार, दिनांक- 22 अगस्त, 2017 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.15 बजे पूर्वा० तक

प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये और शोरगुल करने लगे ।

"आसन से कहा गया कि सभी माननीय सदस्यगण एक साथ अपनी बात कहेंगे तो आसन सुन नहीं पायेगा । साथ ही सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे बारी-बारी से अपनी बातों को रखें ।"

तत्पश्चात् सभी माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर बैठ गये ।

माननीय सदस्य, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा माँग की गयी कि प्रश्नकाल को स्थगित कर कार्यस्थगन के तहत सृजन घोटाले पर जो सूचना दी गयी है उसे स्वीकार कर उसपर चर्चा सदन में करायी जाय ।

"आसन से कहा गया कि आज के लिए स्वीकृत 2 (दो) ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से एक का विषय भी इसी से सम्बन्धित है और ध्यानाकर्षण में विस्तृत चर्चा भी होती है । फिर भी माननीय सदस्यगण इस विषय पर विशेष चर्चा चाहते हैं तो नियमानुसार प्रस्ताव देंगे तो आसन उसे अवश्य देखेगा ।"

माननीय सदस्य, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा पुनः अपनी माँग को दोहराया गया ।

"आसन से कहा गया कि प्रश्नकाल में सभी माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न सूचीबद्ध होते हैं और उसे बाधित नहीं करना चाहिए ।"

तत्पश्चात् विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी माँग को लेकर वेल में आ गये और शोरगुल करने लगे ।

"आसन से बार-बार माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को कहें ।"

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 2.28 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[1] **वित्तीय कार्य** :-

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96 के अधिकाई व्यय के विवरण को सभा पटल पर रखा गया ।

[2] **विधायी कार्य** :- **राजकीय विधेयक** :-

(i) **''बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2017''** :-

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री राम नारायण मंडल द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक पर दिये गये किसी भी संशोधन को सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री श्री राम नारायण मंडल द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(ii) **''बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2017''** :-

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री राम नारायण मंडल द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री ललित कुमार यादव एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक पर दिये गये किसी भी संशोधन को सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री श्री राम नारायण मंडल द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(iii) **''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2017''** :-

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री राम नारायण मंडल द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक पर दिये गये किसी भी संशोधन को सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री श्री राम नारायण मंडल द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(iv) "**बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017**" :-

पंचायती राज विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री कपिलदेव कामत द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री ललित कुमार यादव एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक पर दिये गये किसी भी संशोधन को सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

पंचायती राज विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री श्री कपिलदेव कामत द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[3] **निवेदन** :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल-15 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 23 अगस्त, 2017 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-22.08.2017

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।